

DAILY **CURRENT AFFAIRS**

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 17-01-26



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 17 Jan, 2026

संस्करण : अंतर्राष्ट्रीय विषय-सूची

पेज 03 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	चाबहार बंदरगाह संचालन पर अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी: विदेश मंत्रालय
पेज 05 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II और सामान्य अध्ययन III : शासन और पर्यावरण	विशेषज्ञ पैनल ने अभयारण्यों में धार्मिक स्थलों के लिए मानदंड निर्धारित किए
पेज 06 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	मौन : भारत के हितों को केवल अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के दावे से ही सुरक्षित किया जा सकता है
समाचार में पाठ्यक्रम : प्रारंभिक परीक्षा	RBS-15 मिसाइल
समाचार में पाठ्यक्रम : प्रारंभिक परीक्षा	हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
पेज 06 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन III : भारतीय अर्थव्यवस्था	बजट 2026-27 को विकास की गति को बनाए रखना चाहिए

पेज 03 : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध / प्रारंभिक परीक्षा

भारत ने नए भू-राजनीतिक और प्रतिबंधों से संबंधित दबावों के बावजूद चाबहार बंदरगाह पर परिचालन जारी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के साथ चर्चा जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका की ओर से टैरिफ की ताजा धमकियों और भारत द्वारा अपनी भागीदारी कम करने की अटकलों के बाद इस मुद्दे को प्रमुखता मिली है।

Talks on Chabahar port operations will continue with U.S. and Iran: MEA

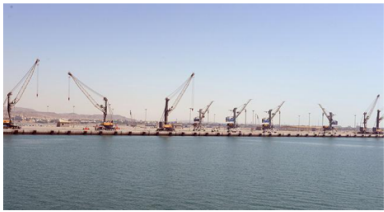
Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

India remains engaged with both the United States and Iran about ways to continue operations at the port of Chabahar in south-eastern Iran, officials said on Friday.

India's relationship with Iran has come under renewed stress since U.S. President Donald Trump announced a new round of tariffs on January 12, saying that any country that wants to trade with the U.S. while maintaining trading ties with Iran would be subjected to an extra 25% tariff.

The announcement brought into focus India's investments into the port of Chabahar, for which New Delhi had received an exemption from the Trump administration last year. Recent media reports had suggested that India would be wrapping up its work in Chabahar.

Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said on Friday, "On October 28, 2025, the U.S. Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiv-



India has a sanctions waiver from the U.S. that is valid till April 26, 2026, providing additional time for negotiations. FILE PHOTO

er valid till April 26, 2026. We remain engaged with the U.S. side in working out this arrangement."

Describing the India-Iran relationship as "long standing", Mr. Jaiswal said that the ties would be taken forward.

Officials explained that the recent media reports highlighting Indian plans to wrap up operations at Chabahar did not account for the fact that India and Iran maintain dialogues on several difficult issues, with the relationship evolving over decades as Tehran dealt with various types of western sanctions.

They pointed out that the waiver will be in place till April 26, 2026, which provides some additional time for negotiation with

the U.S., especially as External Affairs Minister S. Jaishankar is expected to meet U.S. Secretary of State Marco Rubio next month.

Negotiations with U.S.

"Our negotiations with the Americans are continuing and we will take up the case of Chabahar where we like to be present," an official said, without ruling out India renewing its work in Chabahar.

Chabahar would have featured in talks with Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi who was expected to visit India this month, though this was not announced officially, against the backdrop of internal turbulence in Iran.

पेजभूमि और प्रमुख विकास

- भारत ने चाबहार बंदरगाह में एक रणनीतिक संपर्क परियोजना के रूप में निवेश किया है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है।
- अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अतिरिक्त 25% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारत-ईरान आर्थिक जुड़ाव के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
- भारत को वर्तमान में अमेरिका से सशर्त प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है, जो 26 अप्रैल, 2026 तक वैध है, जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई है।
- चाबहार से भारत के बाहर निकलने का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों का विदेश मंत्रालय ने विरोध किया, जिसमें चल रही बातचीत और लंबे समय से चले आ रहे भारत-ईरान संबंधों पर जोर दिया गया।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच संभावित बैठक सहित राजनयिक जुड़ाव जारी रहने की उम्मीद है।

भारत के लिए सामरिक महत्व

भू-राजनीतिक और रणनीतिक स्वायत्तता: चाबहार हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है और वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ संबंध बनाए रखते हुए एक संतुलित पश्चिम एशिया नीति का समर्थन करता है।

कनेक्टिविटी और व्यापार: यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का केंद्र है, जो मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ाता है।

क्षेत्रीय स्थिरता: ईरान के साथ निरंतर जुड़ाव भारत को अफगानिस्तान की मानवीय और आर्थिक पहुंच में रचनात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है।

राजनयिक संतुलन: भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक हेजिंग को दर्शाता है - मुख्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए प्रतिबंधों के अनुपालन पर अमेरिका को शामिल करना।

चुनौतियां

- अमेरिका से द्वितीयक प्रतिबंधों या आर्थिक दंड का जोखिम
- आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल और बाहरी दबावों के कारण ईरान में अस्थिरता।
- अमेरिकी विदेश नीति में दीर्घकालिक छूट और नीति निरंतरता पर अनिश्चितता।

निष्कर्ष

चाबहार पर भारत का रुख कूटनीति और बातचीत के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता की उसकी खोज को रेखांकित करता है। अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मौजूदा प्रतिबंधों में छूट और निरंतर जुड़ाव का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य एक जटिल वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था को नेविगेट करते हुए अपने दीर्घकालिक कनेक्टिविटी, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों की रक्षा करना है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: चाबहार बंदरगाह पर भारत के संचालन से संबंधित प्रतिबंधों में छूट वर्तमान में तब तक वैध है जब तक कि

- (a) अप्रैल 2025
- (b) अक्टूबर 2025
- (c) अप्रैल 2026
- (d) जनवरी 2027

उत्तर: (c)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: चाबहार बंदरगाह पर भारत की भागीदारी राष्ट्रीय हित और वैश्विक भू-राजनीति के बीच संतुलन को दर्शाती है। विश्लेषण करें। (150 शब्द)

पर्यावरण शासन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर धार्मिक संरचनाओं को विनियमित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह कदम वन भूमि पर विश्वास-आधारित दावों के साथ संरक्षण की अनिवार्यता को संतुलित करने का प्रयास करता है।

Expert panel sets norms for religious sites in sanctuaries

The guidelines, which are still being deliberated upon by State governments, say that as a general principle, any construction on forest land after 1980 ought to be treated as encroachment

Jacob Koshy
NEW DELHI

An apex expert body of the Environment Ministry, which decides on permitting infrastructure development within wildlife habitat, has brought out guidelines that specify conditions under which land inside wildlife parks or sanctuaries may be diverted for religious structures.

This follows a first-of-its-kind instance, when a proposal for land diversion within the Balaram Ambaji Wildlife Sanctuary, Gujarat, came up in early 2024. The sanctuary is host to, according to the State Government, "...two historical temples—Balaram and Ambaji—situated at the opposite corners of the sanctuary."

Case in point

In July 2024, the body—Standing Committee of the National Board for Wildlife (SCNBWL) – had cleared a proposal by Pramukhshri Mukundpuriji Maharaj Seva Trust, Palanpur, Gujarat to "use" 0.35 hectares of forest land in the Balaram



Rights in limbo: Forest officials say several sanctuaries across the country are yet to settle rights and claims. FILE PHOTO

Ambaji Wildlife Sanctuary after Chief Wildlife Warden and the State Government approved the proposal, citing the existence of the "establishment" before the settlement of forest rights in the region.

However, in October 2024, the SCNBWL decided to revoke a clearance after one of its members, HS Singh, said that the right of the Trust on the land had not been recognised or recorded in the forest settlement report or any other government records. Mr. Singh warned that this being the first instance of

sanctuary land being considered for allotment to a religious institution, it could set a precedent for similar demands for protected area land.

He requested the Committee to reconsider its recommendation.

During deliberations, the Inspector General of Forests noted there were several such sanctuaries across the country where rights and claims had not been settled. Following this, the Chairman of the Committee (Environment Minister Bhupendra Yadav) said there were sacred

caves and religious places inside forests and wildlife areas mentioned in religious texts. The followers, he said, had decided to develop these areas as a matter of faith and, therefore, an SOP be formulated for submission of applications to the Committee involving religious institutions. He suggested a panel comprising Dr. H. S. Singh and Dr. R. Sukumar may be formed for that purpose.

Rules for construction

These guidelines—though still being deliberated upon by State Governments—say that as a general principle, any construction or expansion on forest land after 1980 ought to be treated as "encroachment." A summary of the guidelines was presented before the SCNBWL in its December 2025 meeting, the meeting records note.

However, in exceptional cases where the State has issued a reasoned and documented order justifying proposed regularisation, such cases could be referred to the Ministry for further consideration on a case-by-case basis.

पेजभूमि और संदर्भ

- ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा तैयार किए गए हैं, जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जो वन्यजीव आवासों में परियोजनाओं को मंजूरी देता है।
- बलराम अंबाजी वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में एक विवादास्पद प्रस्ताव था, जहां एक धार्मिक ट्रस्ट के लिए वन भूमि के डायवर्जन को शुरू में मंजूरी दी गई थी और बाद में रद्द कर दिया गया था।
- विचार-विमर्श के दौरान उठाई गई एक प्रमुख चिंता यह थी कि वन अधिकारों के बिना इस तरह के डायवर्जन की अनुमति देने से पूरे भारत में संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण की मिसाल कायम हो सकती है।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

1980 के बाद अतिक्रमण के रूप में निर्माण

- 1980 के बाद वन भूमि पर किसी भी निर्माण या विस्तार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुरूप अतिक्रमण के रूप में माना जाएगा।

असाधारण नियमितीकरण खंड

- दुर्लभ मामलों में, यदि कोई राज्य सरकार नियमितीकरण को उचित ठहराते हुए एक तर्कसंगत और अच्छी तरह से प्रलेखित आदेश जारी करती है, तो प्रस्ताव को मामला-दर-मामला विचार के लिए पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

अस्थिर अधिकारों की मान्यता

- दिशानिर्देशों में स्वीकार किया गया है कि कई अभयारण्यों में, वन अधिकारों और दावों का पूरी तरह से निपटारा होना बाकी है, जिससे भूमि उपयोग पर निर्णय जटिल हो गए हैं।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

- समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के निर्देशों के बाद, विशेष रूप से धार्मिक संस्थानों के आवेदनों से निपटने के लिए एक एसओपी विकसित की जा रही है।

UPSC परिप्रेक्ष्य के लिए महत्व

पर्यावरण शासन: संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण कानूनों और एहतियाती सिद्धांत की प्रधानता को पुष्ट करता है।

वन अधिकार और कानून का शासन: वन कानूनों के तहत अधिकारों के निपटान में अंतराल और धार्मिक दावों के संभावित दुरुपयोग पर प्रकाश डालता है।

केंद्र-राज्य गतिशीलता: राज्यों को एक भूमिका दी जाती है, लेकिन अंतिम जांच केंद्र के पास होती है, जो समान मानकों को सुनिश्चित करती है।

नैतिकता और सार्वजनिक नीति: पारिस्थितिक अखंडता और अंतर-पीढ़ीगत समानता के साथ विश्वास-आधारित भावनाओं को संतुलित करने पर सवाल उठाता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में धार्मिक दावों के राजनीतिकरण का जोखिम।
- ऐतिहासिक अधिकारों के कमजोर दस्तावेजीकरण से विवाद और मुकदमेबाजी हो सकती है।
- वृद्धिशील अतिक्रमणों को रोकने में प्रवर्तन चुनौतियाँ।

निष्कर्ष

मसौदा मानदंड आस्था, वन अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण के चौराहे पर एक संवेदनशील मुद्दे में स्पष्टता और स्थिरता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को चिह्नित करते हैं। यदि इसे सख्ती से लागू किया जाता है, तो वे संरक्षित क्षेत्रों के कमजोर पड़ने को रोकने में मदद कर सकते हैं, जबकि यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी असाधारण विचार कानून, पारदर्शिता और पारिस्थितिक विवेक पर आधारित है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: संरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर धार्मिक संरचनाएं भारत में पर्यावरण शासन के लिए जटिल चुनौतियाँ पेश करती हैं। हाल के विशेषज्ञ दिशानिर्देशों के आलोक में, वन्यजीव अभयारण्यों में ऐसी संरचनाओं को अनुमति देने या नियमित करने के कानूनी, पारिस्थितिक और नैतिक आयामों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

पेज 06 : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इस लेख में अमेरिका की आक्रामक और एकतरफा कार्रवाइयों के प्रति भारत की दबी कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं की आलोचना की गई है, जिसमें ईरान के साथ टैरिफ की धमकियां और रणनीतिक संबंधों पर दबाव शामिल है, और भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह बहस व्यापक भू-राजनीतिक तनावों के भीतर स्थित है जिसमें वैश्विक शक्ति की गतिशीलता, आर्थिक दबाव और भारत की विदेश नीति के विकल्प शामिल हैं। भारत के बाहरी संबंधों को प्रभावित करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ दबावों के कारण इस टिप्पणी की समकालीन प्रासंगिकता है।

संदर्भ: अमेरिकी कार्रवाई और भारतीय नीति रुख

अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध उपाय: ट्रम्प प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर भारी एकतरफा टैरिफ लगाया है और भारत के बाहरी जुड़ाव, विशेष रूप से ईरान और रूस के साथ जुड़े अतिरिक्त शुल्क की धमकी दी है। अमेरिकी कांग्रेस में एक नया प्रस्ताव रूसी ऊर्जा खरीदने वाले राज्यों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ को अनिवार्य कर सकता है, जिससे व्यापार घर्षण तेज हो सकता है।

ईरान व्यापार पर अमेरिकी टैरिफ: राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, भारत की विदेश नीति के गणित पर सीधा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से ईरान के साथ इसकी सीमित लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक और बुनियादी ढांचे की भागीदारी को देखते हुए।

भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं: भारतीय राजनयिक बयान सतर्क रहे हैं। जबकि यात्रा सलाह और सुरक्षा मार्गदर्शन जारी किए गए हैं, भारत ने आम तौर पर अपनी सैन्य और आर्थिक कार्रवाइयों पर अमेरिका का सीधे सामना करने से परहेज किया है - वेनेजुएला में अमेरिकी व्यस्तता या ईरान के खिलाफ दंडात्मक खतरों के लिए मौन प्रतिक्रियाओं में उदाहरण दिया गया है।

चाबहार सगाई: भारत 26 अप्रैल, 2026 तक वैध अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट के तहत चाबहार बंदरगाह पर परिचालन को बनाए रखने के लिए शर्तों पर बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने हितों की रक्षा के लिए वाशिंगटन के साथ जुड़ाव जारी रखने पर जोर दिया है।

सामरिक स्वायत्तता: भारत की विदेश नीति का मूल

टिप्पणी में कहा गया है कि भारत की कूटनीतिक सावधानी संप्रभु हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए एक व्यापक संघर्ष को दर्शाती है। रणनीतिक स्वायत्तता - जिसे बाहरी दबाव से मुक्त स्वतंत्र नीति विकल्पों को आगे बढ़ाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है - भारत की विदेश नीति के लोकाचार के केंद्र में है, जो ऐतिहासिक गुटनिरपेक्षता और शीत युद्ध के बाद की बहुध्रुवीय आकांक्षाओं में निहित है। प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

On mute

India's interests can be secured only by assertion of its strategic autonomy

The new year has brought little change in the geopolitical turmoil unleashed by the Trump administration, beginning with the U.S.'s unlawful action in Venezuela, followed by its threats to carry out similar regime-changing operations in South America and stated plans to annex Greenland. The U.S. Congress is now expected to discuss a new law that mandates up to 500% in tariffs on countries purchasing oil or uranium from Russia. The U.S. also stepped up its rhetoric against Iran for crackdowns against protesters, imposing more sanctions and threatening to attack it. In a social media post, Mr. Trump said that he would levy an additional 25% tariff on trade with any country doing business with Iran and the U.S. is pushing India to wind up operations at Chabahar port, where India has invested billions of dollars. In the face of such aggressive and unilateral actions, New Delhi's responses have been muted, when not weak. The Ministry of External Affairs (MEA) has expressed "deep concern" over events in Venezuela, but did not mention the U.S.'s egregious action of kidnapping the Venezuelan President and his wife, nor did it refer to the violation of basic tenets of international law. No statement has been made on the threats against the other countries (Cuba and Colombia), presumably as they are not in India's immediate vicinity. On Iran, however, which is a close neighbour and has a historical relationship with India, the government's reaction has been the most puzzling. It has not commented on the street protests or the U.S.'s threats of strikes and tariffs. The MEA has, however, issued travel advisories for Iran and Israel and is preparing evacuation plans for Indian students in Iran. Government officials also say India will reduce its trade with Iran further from current low levels.

The government's motivations in not naming the U.S. for its obvious overreach can be explained. After a tense year in ties and a failure to conclude the India-U.S. Bilateral Trade Agreement, there is some hope of some movement on relations soon. U.S. Ambassador to India Sergio Gor has painted an optimistic future for ties, beginning with the trade agreement and the inclusion of India in the U.S.'s high-technology partnership 'Pax Silica' next month. Officials may argue that little can be gained by speaking up now and risking another downturn in ties. However, each new threat by the U.S. is hurting ordinary Indians and the Indian economy. Above all, India stands to lose economically, reputationally and in terms of its other relationships as well, in a year where it hopes to host the BRICS+ Summit. The Modi government's experience from 2019, when it gave up buying Iranian and Venezuelan oil under U.S. pressure should be a signal lesson - appeasement of a global power, however strong, cannot ensure India's interests, only an assertion of its strategic autonomy can do that.

स्वतंत्र निर्णय लेना: सार्वजनिक रूप से अमेरिकी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए भारत की अनिच्छा – भले ही ये भारतीय हितों को प्रभावित करते हों – को सैद्धांतिक रुख पर द्विपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है।

आर्थिक और सुरक्षा संतुलन: टैरिफ युद्धों और प्रतिबंधों के बावजूद, भारत चाबहार जैसी रणनीतिक परियोजनाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए अमेरिका के साथ आर्थिक जुड़ाव जारी रखता है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था: भारत की विदेश नीति, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत, एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और विविध रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया है – जिसमें रूस और अन्य उभरती शक्तियों के साथ संबंधों को गहरा करना शामिल है। यह इसके स्वायत्त निर्णय लेने के दृष्टिकोण का पूरक है।

UPSC के लिए विश्लेषणात्मक आयाम

विदेश नीति सिद्धांत: यह तर्क रणनीतिक स्वायत्तता के आंतरिक मूल्य और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक प्रमुख अवधारणा है जो भारत की राजनयिक पहचान की आधारशिला बनी हुई है।

यथार्थवाद बनाम व्यावहारिकता: भारत की मौन सार्वजनिक कूटनीति की व्याख्या व्यावहारिक संयम के रूप में की जा सकती है, जिसका उद्देश्य एक शक्तिशाली भागीदार के साथ तनाव को रोकना है, फिर भी यह नैतिक मुखरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में मानक प्रश्न उठाता है।

आर्थिक जबरदस्ती: टैरिफ और प्रतिबंध आर्थिक जबरदस्ती के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। भारत की वार्ता रणनीतियां राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए ऐसे उपायों का मुकाबला करने में छोटी और मध्यम शक्तियों की सीमाओं को दर्शाती हैं।

भू-राजनीतिक निहितार्थ: प्रमुख शक्तियों - अमेरिका, रूस, ईरान - और प्रतिस्पर्धी दबावों को नेविगेट करने के भारत के प्रयास के बीच परस्पर क्रिया एक गैर-आधिपत्य वैश्विक व्यवस्था में समकालीन भू-राजनीति की जटिलताओं को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

अमेरिकी दबावों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बहस – विशेष रूप से व्यापार नीति और चाबहार जैसे रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर – एक बड़ी विदेश नीति दुविधा को स्पष्ट करती है: शक्तिशाली भागीदारों को अलग-थलग किए बिना राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे की जाए। रणनीतिक स्वायत्तता, जैसा कि राय लेख का तर्क है, केवल बयानबाजी नहीं है; यह एक परिचालन अनिवार्यता है जिसके लिए कैलिब्रेटेड कूटनीति, जरूरत पड़ने पर सैद्धांतिक सार्वजनिक रुख और भारत के संप्रभु निर्णय लेने को मजबूत करने वाली विविध साझेदारी की आवश्यकता होती है। बहुपक्षीय मंचों पर स्थिति और ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व सहित भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के लिए राष्ट्रीय हितों में स्वायत्त नीति विकल्पों पर जोर देना अपरिहार्य है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: इस तर्क की आलोचनात्मक जांच करें कि भारत के राष्ट्रीय हितों को केवल वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में रणनीतिक स्वायत्तता के दावे के माध्यम से ही सुरक्षित किया जा सकता है। (150 शब्द)

समाचार में: प्रारंभिक परीक्षा - RBS-15 मिसाइल

स्वीडिश एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी, साब ने रूसी एस -400 प्रणाली के घटकों को नष्ट करने के लिए अपनी आरबीएस -15 मिसाइल की क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।



RBS-15 मिसाइल के बारे में

- RBS-15 (रोबोटसिस्टम 15) जमीन पर हमला करने की क्षमता के साथ सतह से सतह और हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी-शिप मिसाइल है।
- इस मिसाइल को स्वीडन की कंपनी साब बोफोर्स डायनेमिक्स ने विकसित किया है।

RBS-15 मिसाइल की विशेषताएं

- इसकी लंबाई 4.35 मीटर, धड़ का व्यास 0.5 मीटर और पंखों का फैलाव 1.4 मीटर है।
- मिसाइल का प्रक्षेपण और उड़ान के दौरान वजन क्रमशः 800 किलोग्राम और 650 किलोग्राम है।
- यह मच 200 की सबसोनिक गति से 0.9 किमी तक के लक्ष्य को मार सकता है।
- वारहेड: 200 किलोग्राम उच्च-विस्फोटक (एचई) विस्फोट और पूर्व-खंडित वारहेड।
- यह एक कम समुद्र-स्किमिंग मिसाइल है जो अप्रत्याशित रूप से बचने वाली युद्धाभ्यास करती है।
- RBS15 मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली में एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और एक जीपीएस रिसीवर, एक रडार अल्टीमीटर और एक केयू-बैंड रडार लक्ष्य साधक शामिल है।
- मिसाइल में कम रडार क्रॉस सेक्शन और आईआर सिग्नेचर है।
- इसमें परिष्कृत लक्ष्य भेदभाव और चयन क्षमताएं हैं।
- यह भूसी, सक्रिय जैमर, डिक्वॉय और अन्य इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स (ईसीएम) के प्रति बेहद प्रतिरोधी है।
- मिसाइल सगाई योजना प्रणाली (एमईपीएस) विभिन्न परिदृश्यों के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए एक उन्नत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करती है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सा RBS-15 मिसाइल की उड़ान प्रोफ़ाइल का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (a) उच्च ऊंचाई वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र
- (b) मध्यम ऊंचाई पर सुपरसोनिक क्रूज
- (c) टालमटोल युद्धाभ्यास के साथ कम समुद्र-स्किमिंग उड़ान
- (d) बूस्ट-ग्लाइड हाइपरसोनिक प्रक्षेपवक्र

उत्तर: c)

समाचार में: प्रारंभिक परीक्षा - हेनले पासपोर्ट इंडेक्स

2026 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने वैश्विक यात्रा गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया है, जिसमें एशिया शीर्ष रैंक पर हावी बना हुआ है।



हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में

- यह वैश्विक पासपोर्ट की एक लोकप्रिय रैंकिंग है जो पासपोर्ट की ताकत को उन गंतव्यों की संख्या से मापती है जहां धारक बिना पूर्व वीजा के जा सकते हैं।
- यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर देशों को रैंक करता है।
- इसकी शुरुआत 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक (एचवीआरआई) के रूप में हुई थी।
- सूचकांक में 199 अलग-अलग पासपोर्ट और 227 अलग-अलग यात्रा गंतव्य शामिल हैं।
- **महत्व:** पासपोर्ट जितना मजबूत होगा, उसके धारक बिना पूर्व वीजा के उतने ही अधिक देशों में प्रवेश कर सकते हैं - एक विशेषाधिकार जो राजनयिक संबंधों, आर्थिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की मुख्य विशेषताएं

- भारत के पासपोर्ट में भी सुधार हुआ है, जो पांच स्थान ऊपर चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है
- दुनिया के शीर्ष तीन पासपोर्ट एशिया से आते हैं। सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।
- अफगानिस्तान सूची में सबसे नीचे है, 101 वें स्थान पर है, जिसमें 24 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुंच है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) शीर्ष तीन पासपोर्ट में से सभी यूरोप से हैं
- (b) सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं
- (c) जापान पहले स्थान पर है, उसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया हैं
- (d) चीन शीर्ष तीन पासपोर्ट धारकों में से एक है

उत्तर: b)

Budget 2026-27 must keep the growth momentum

India faced global headwinds in 2025 but belied fears that America's 50% tariffs would hurt its economy. The resilience of the Indian economy had a lot to do with the government's reformist measures. As Prime Minister Narendra Modi said recently, "2025 will be remembered as a year when India treated reforms as a continuous national mission." Budget 2026-27 can give a fillip to the mission.

India needs to strengthen the domestic levers of growth. This can be done by prioritising growth-enhancing productive capital expenditure and social sector spending, while maintaining the current fiscal consolidation glide path and keeping debt risks contained.

Continue the focus on defence

First, the government should continue the focus on defence, with higher expenditure on the capex. The share of capital outlay in defence should be enhanced to 30% from the budgetary estimate for 2025-26 of 26.4%. The budgetary allocation for the Defence Research and Development Organisation should also be increased by at least ₹10,000 crore. Defence industrial corridors in Uttar Pradesh and Tamil Nadu have made strides in promoting defence indigenisation and raising defence production. The government should consider establishing an eastern India defence industrial corridor.

Second, private enterprises have played a key role in augmenting defence exports in recent times, contributing nearly 65% of total defence exports in 2024-25. There can be a further boost by setting up a defence export promotion council for enhanced coordination with armed services, their foreign directorates, defence public sector undertakings, private manufacturers, the Ministry of External Affairs, Indian embassies, the Ministry of Defence, and communicate with foreign governments and buyers. This will also help achieve the target of defence exports set at ₹50,000 crore by 2028-29.

Third, a transition toward clean energy, advanced manufacturing, electric mobility,



Jyoti Vij

is Director General, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)

The steps to take must include strengthening the domestic levers of growth, policy certainty and sorting out structural bottlenecks

semiconductors and strategic technologies is driving a demand for critical minerals. The National Critical Mineral Mission (NCMM), approved in early 2025 provides a strong strategic foundation to secure these materials. This can be supplemented by a dedicated critical minerals tailings recovery programme under the NCMM, with the purpose of treating tailings recovery. The government should also consider offering dedicated financing for this.

Fourth, exports need a significant policy thrust in the current global environment. The present budgetary allocation for the Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme, at around ₹18,233 crore needs to be raised significantly to make the exports more competitive.

Fifth, India has emerged as the world's leading hub for Global Capability Centres, but its transfer pricing (TP) framework has yet to evolve. The government may consider issuing clear guidance on acceptable TP models for different categories.

Sixth, to accelerate drone adoption, global competitiveness, and exports, the government should consider catalysing scale through targeted financial support, including enhancing the production linked incentive outlay from ₹120 crore to ₹1,000 crore and setting up a ₹1,000 crore drone research and development fund.

Finance credit and tax disputes

Seventh, deepening the corporate bond markets is critical for diversification of finance credit beyond the banking system. The government could consider lowering the qualifying borrowing threshold and include listed and unlisted corporates to widen the issuer base and stimulate bond supply, encourage large corporations to diversify borrowings through market issuances, increase investment caps for insurance companies beyond the current 25% limit and revise the 'Approved Investment' threshold from AA to AA-, enabling prudent allocation into high-quality but lower-rated issuers. It could also permit provident funds to invest in

non-convertible debentures issued by infrastructure investment trusts and real estate investment trusts, enabling long-term capital to support infrastructure aggregation vehicles.

Eighth, measures to address disputes pendency need to be prioritised. The first appellate level in direct tax disputes, the office of the Commissioner of Income Tax (Appeals) or CIT(A), is facing severe pendency. There is a need to prioritise high-pitched assessments, cases with complete submissions, cases covered by jurisdictional High Court or Supreme Court rulings, appeals older than five years, and matters that are chronologically the oldest. The need is a dual-track disposal system: a fast-track for simple or low-value matters and a detailed track for complex or high-value matters. Also, around 40% vacancies at the CIT(A) level need to be filled.

Ninth, newly incorporated companies (even for new companies formed by established Authorised Economic Operator or AEO-accredited groups) are ineligible for certification by the AEO. Removing this restriction for AEO-accredited groups will help enhance trade efficiency and facilitate greater trade.

Tenth, the reforms related to customs tariffs introduced in the last Budget must continue. Further reduction in the customs tariffs slabs can help streamline the duty structure, address the issue of inverted duties and benefit trade. Import duties should be calibrated across the value chain to support domestic manufacturing competitiveness and address the inverted duties.

Ensure competitiveness

Budget 2026-27 must focus on sustaining India's growth momentum by deepening competitiveness across sectors and strengthening the domestic engines of expansion. By combining fiscal prudence with unlocking growth potential across industries, ensuring policy certainty and addressing structural bottlenecks, the Budget can crowd in private investment and enhance India's global competitiveness.

सामान्य अध्ययन पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था

UPSC मुख्य अभ्यास प्रश्न: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की अवधि में, घरेलू विकास इंजनों को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा करें कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकासोन्मुखी पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय समेकन को कैसे संतुलित कर सकता है। (250 शब्द)

संदर्भ :

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक ज्योति विज का लेख वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 से प्रमुख अपेक्षाओं को रेखांकित करता है। यह तर्क देता है कि उच्च अमेरिकी टैरिफ जैसे संरक्षणवादी दबावों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था ने सुधार-उन्मुख शासन के कारण लचीलापन दिखाया है, और आगामी बजट को इन लाभों को समेकित करना चाहिए।

मुख्य तर्क और नीति सुझाव

राजकोषीय विवेक के साथ विकास

- इस लेख में राजकोषीय सुदृढीकरण के मार्ग का पालन करते हुए उत्पादक पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र के खर्च के माध्यम से घरेलू विकास के चालकों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
- यह ऋण स्थिरता के साथ विकास प्रोत्साहन को संतुलित करने की चुनौती को दर्शाता है।

रक्षा और सामरिक क्षमताएं

- उच्च रक्षा पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय का हिस्सा 30% तक बढ़ाना) और डीआरडीओ को आवंटन में वृद्धि का प्रस्ताव है।
- प्रस्तावित पूर्वी गलियारे सहित रक्षा औद्योगिक गलियारों का विस्तार, आत्मनिर्भर भारत और निर्यात आधारित रक्षा विनिर्माण के अनुरूप है।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना

- रक्षा निर्यात में लगभग 65 प्रतिशत का योगदान देने वाली निजी फर्मों के साथ, 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का सुझाव दिया गया है।

महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ परिवर्तन

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को स्वच्छ ऊर्जा, ईवी और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- एक टेलिंग रिकवरी कार्यक्रम और समर्पित वित्तपोषण संसाधन सुरक्षा को बढ़ाएगा और आयात निर्भरता को कम करेगा।

निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

- वैश्विक व्यापार बाधाओं का मुकाबला करने के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के लिए आवंटन बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
- वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण स्पष्टता को एक सेवा केंद्र के रूप में भारत के आकर्षण को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

नए युग के क्षेत्र: ड्रोन और प्रौद्योगिकी

- उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात बढ़ाने के लिए पीएलआई परियोजना में महत्वपूर्ण वृद्धि और एक समर्पित ड्रोन अनुसंधान एवं विकास कोष का प्रस्ताव है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- जारीकर्ता और निवेशक आधार को व्यापक बनाकर कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों को गहरा करने से बैंकों से परे ऋण में विविधता आएगी और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का समर्थन होगा।

व्यापार करने में आसानी और विवाद समाधान

- दोहरे ट्रैक प्रणाली के माध्यम से सीआईटी (ए) स्तर पर लंबित कर विवादों को कम करना और रिक्तियों को भरना निवेशकों के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सुधार

- मान्यता प्राप्त समूहों के भीतर नई निगमित फर्मों को आईओ लाभ प्रदान करने और सीमा शुल्क स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से व्यापार दक्षता में वृद्धि होगी और इन्वर्टेड ड्यूटी संरचनाओं का समाधान होगा।

UPSC-प्रासंगिक विश्लेषण

आर्थिक नीति: निजी निवेश में भीड़ में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की भूमिका पर जोर देता है।

औद्योगिक नीति: रक्षा, ड्रोन, महत्वपूर्ण खनिजों और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को रणनीतिक स्वायत्तता से जोड़ती है।

राजकोषीय संघवाद और शासन: पूर्वानुमानित कर प्रशासन और तेजी से विवाद समाधान के महत्व पर प्रकाश डालता है।

बाहरी क्षेत्र: संरक्षणवादी वैश्विक वातावरण में निर्यात और लचीलेपन को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

लेख में तर्क दिया गया है कि बजट 2026-27 को केवल व्यापक आर्थिक स्थिरता का प्रबंधन नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत के विकास इंजनों को सक्रिय रूप से मजबूत करना चाहिए। लक्षित क्षेत्रीय सुधारों, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और संस्थागत दक्षता के साथ राजकोषीय अनुशासन को जोड़कर, बजट गति को बनाए रख सकता है, निजी निवेश में भीड़ लगा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को बढ़ा सकता है- जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है।